

आदेश - पत्रक

16-17

(देंखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

क्र.सं. 18/16-13 सन 16-17 जिला-राँची।

केस का प्रकार:- नापी के संबंध में

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित									
1	2	3									
<p>28 3.17</p>	<p>आवेदन जमोति 5744 नम्बर पिडा- मधुनी चरण नम्बर 220 माशंग कीरी पौ- वारेना धान- डोनापुर जिला राँची ने नापी हेतु आवेदन दिता है आवेदन को एम्का कर्मचारी को जाँच में है जमीन का निवाणी मौजा माशंग कीरी</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>102</td> <td>85</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>85</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>85</td> <td>3.66</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">0.3320 कज</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी डोनापुर</p>	102	85	2.00	102	85	2.00	102	85	3.66	
102	85	2.00									
102	85	2.00									
102	85	3.66									
<p>13/4/17</p>	<p>अभिलेख जाहानि एम्का कर्मचारी एम्का निरीक्षक</p>										

का जॉन फिलिपन से भी जॉन मारांगकी

के खाता नं०- 102 LMAZ नं०- 85 - 2-200
 102 85 - 3-66 200
 102 85 - 0-033 200
 5.99 200

मुझे मांग पंजी 15 से लक्ष्मी चरण
 मारी वगेरह के नाम से जाना लंदी
 दर्ज है आवेदक द्वारा नामी आवेदन
 जमा किया लेकिन सिपाही दीनल नंदु
 मारी मिन - गणेश मारी मारा
 मारांग सीपी द्वारा आपत्ति दिया है
 दोनो पक्ष को नोटिस निर्गत कर

मंजूर 30/5/17
 खोनालु

17-5-17

अभिनेता उपलब्ध कर दो नो पक्ष
 उपलब्ध कर दिनांक - 30-5-17 को 222

मंजूर 30/5/17
 खोनालु

30.5.17

अभिलेख उपस्थिति। दोनों पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा बताया गया कि मौजा मरांगकीरी के खता न०-102 प्लॉट न०-85 कुल रकबा 7.98 एकड़ है जिसका रैयत (1) लक्ष्मी चरण भट्टो (2) कार्तिक भट्टो (3) शुभ भट्टो (4) गणेश भट्टो पिता कुड़ भट्टो ग्राम मरांगकीरी पोस्ट वारेन्स थाना खोनाहाणु का निवासी है। इस विषय में कहना है कि इस रकबा को चार हिस्से में बाँटकर बराबर बराबर करने की आवश्यकता है। तथा उक्त खता के रकबा को बराबर हिस्से बराबर करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में लिखित ध्यान भी दिया गया है।

प्रथम पक्ष के ज्योति प्रसाद भट्टो के द्वारा लिखित आवेदन दिया है कि मौजा मरांगकीरी के खता न०-102 प्लॉट न०-85 रकबा 5.99 एर को अंचल अमीन से नापी कराकर सीमा रेखा निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

इसका कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मरांगकीरी के खता न०-102 प्लॉट न०-85 कुल रकबा 5.99 एकड़ भूमि गाँव पंजी में लक्ष्मी चरण भट्टो वैजण्ड के नाम से जमाबंदी दर्ज है।

पुनः इसका कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि गैरप्रजल्डा खास से संबंधित है। आवेदक द्वारा सादा डुकुप्रनामा दिया है जो अभिलेख में संलग्न है तथा इसकी वैधता का जाँच करना संभव नहीं है। साथ ही आवेदक द्वारा बराबर से संबंधित आवेदन दिया है। जो कि अंचल कार्यालय के कार्य क्षेत्र से बाहर है।

अतः प्रश्नगत भूमि का नापी कर बराबर करना विधि संगत नहीं है।

दोनों पक्षों के ध्यान को सुना एवं दोनों पक्षों

के लिखित ध्यान एवं अभिलेख में संलग्न दरवाजे का अवलोकन किया एवं हल्का कर्मचारी के आवेदन का भी अवलोकन किया। अवलोकन करने से पता चलता है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजहूआ खास भूमि है जो खास हुकुमनामा से प्राप्त है। जिसकी वैधता का जंच करना सम्भव नहीं है। दोनो पक्षों के द्वारा लिखित आवेदन दिया है कि प्रश्नगत भूमि के रकबा को बरकरार रखने में कठिनाई कर दिया जाए जो कि अंचल के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा दिये गये सिंक्रान्त आवेदन को खारिज किया जाता है। तथा दोनो पक्षों की भूमि कठिनाई के लिए सहाय न्यायालय में जाने हेतु आदेश पारित किया जाता है। सिंक्रान्त काद सं-18/1617 कारवाई संपाप्त की जाती है।
 अंशोपि एवं संशोधित

20/05/17
 अंचल अधिकारी
 सोनाशतु।

20/05/17
 अंचल अधिकारी
 सोनाशतु।